आखिरी जांच: 10 अक्टूबर 2026 · Planning, Investment and Finance Department

Deen Dayal Upadhyaya Swavalamban Yojana

अरुणाचल प्रदेश सरकार राज्य में नया छोटा या मध्यम उद्यम शुरू करने वाले बेरोज़गार युवाओं को स्टार्टअप बैंक ऋण पर सब्सिडी देती है।

क्या मिल सकता है

स्टार्टअप बैंक ऋण पर सब्सिडी दी जाती है, ऋण 10 लाख रुपये से शुरू होता है। महिला उद्यमियों को हर साल 5 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी मिलती है, बशर्ते ऋण एनपीए न बने।

किसके लिए है

अरुणाचल प्रदेश के नए उद्यमी, मुख्य रूप से बेरोज़गार युवा, जो बैंक ऋण से छोटा या मध्यम उद्यम शुरू करना चाहते हैं।

मुख्य शर्तें

- उद्यम नई इकाई होना चाहिए और इन क्षेत्रों में हो: खेती व संबद्ध क्षेत्र की खाद्य प्रसंस्करण, पारंपरिक वस्त्र बुनाई, होमस्टे और टूर ऑपरेटर सहित इको-टूरिज़्म, या छोटी विनिर्माण व सेवा इकाइयां।
- विभाग के एफएक्यू में अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को पात्र उधारकर्ता बताया गया है।
- उद्यमी को परियोजना लागत का कम से कम 10 प्रतिशत अपना पैसा लगाना होगा।
- केवल मूल्य बढ़ाने वाली इकाइयां शामिल हैं। सिर्फ बागान का काम पात्र नहीं है।

दस्तावेज़

- नमूना प्रारूप में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)

आवेदन कैसे करें

1. अपनी नई इकाई की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नमूना डीपीआर प्रारूप में तैयार करें।
2. अपने ज़िले के उपायुक्त कार्यालय में आवेदन करें। विभाग का एक ऑनलाइन डीडीयूएसवाई फॉर्म भी है, जिसके लिए उसके पोर्टल पर खाता पंजीकृत कराना होता है।
3. बैंक प्रस्ताव की जांच करके ऋण मंज़ूर करता है, और फिर बैंक सब्सिडी का दावा नाबार्ड को भेजता है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://arunachalplan.gov.in/deen-dayal-upadhay-sawalamban-yojana/
आधिकारिक आवेदन: https://arunachalplan.gov.in/index.php/forms-for-ddusy/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/arunachal-pradesh/ar-deen-dayal-upadhyaya-swavalamban-yojana/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।